

लोकसभा में राहुल गांधी का दावा-अध्यक्ष ने बोलने देने का आश्वासन दिया था, किरेन रिजिजू बोले-कोई आश्वासन नहीं दिया

लोकसभा की कार्यवाही महज 13 मिनट में ही ठप

नई दिल्ली ■

संसद के बजट सत्र के नौवें दिन सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही महज 13 मिनट में ही ठप हो गई। विपक्ष ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने का अवसर देने की मांग को लेकर जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस घटनाक्रम ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव को और तेज कर दिया है। वहीं, सूत्रों के हवाले से खबर है कि विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर भी विचार कर रहा है।

सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता राहुल ने बोलने की अनुमति मांगी। उन्होंने कहा कि वे करीब एक घंटे पहले स्पीकर से

रिजिजू का जवाब: कोई कमिटमेंट नहीं हुआ



राहुल गांधी के बयान पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तत्काल प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वे स्वयं स्पीकर के कक्ष में मौजूद थे और ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। रिजिजू ने कहा, मैं भी स्पीकर के कबिन में मौजूद था। ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया गया। सदन की कार्यवाही नियमों के अनुसार चलती है। आसंदी पर बैठी संस्था राय ने भी राहुल गांधी को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी ओर से किसी अन्य विषय पर चर्चा के लिए कोई विधिवत नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि वे बजट पर चर्चा करना चाहते हैं तो प्रक्रिया के तहत उन्हें अवसर दिया जा सकता है।

मिलने गए थे और उन्हें आश्वासन दिया गया था कि बजट चर्चा शुरू होने से पहले उन्हें अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा।

राहुल गांधी ने सदन में कहा, हम एक घंटा पहले स्पीकर के पास गए थे। स्पीकर ने हमें कमिट किया था कि बजट डिस्कशन से

पहले मुझे बोलने दिया जाएगा। अब आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मुझे बोलने देंगी या नहीं? उस समय आसंदी पर भाजपा सांसद संस्था राय बैठी हुई थीं, जो सदन की कार्यवाही का संचालन कर रही थीं।

अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी?

इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की संभावना पर विचार कर रहा है। हालाँकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लोकसभा के नियमों के अनुसार, स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन आवश्यक होता है। इसके अलावा प्रस्ताव पेश करने से 14 दिन पहले लिखित नोटिस देना अनिवार्य है। यदि प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो उस पर सदन में चर्चा और मतदान कराया जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि विपक्ष ऐसा कदम उठाता है तो इससे संसद का वातावरण और अधिक तनावपूर्ण हो सकता है। हालाँकि यह भी देखना होगा कि क्या विपक्ष के पास आवश्यक समर्थन संख्या है या नहीं।

ये तानाशाही है

कांग्रेस ने सोमवार को दावा किया है कि संसद में पीएम केयर फंड, पीएम राष्ट्रीय राहत कोष और राष्ट्रीय रक्षा कोष (एनडीएफ) से जुड़े सवाल नहीं पूछे जा सकेंगे। ये निर्देश सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय ने लोकसभा सचिवालय को दिए हैं। कांग्रेस ने डेली न्यूज पेपर द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए यह दावा किया है।

कांग्रेस ने एक्स पर 4 सवाल किए- ■ संसद जनता के प्रतिनिधि हैं, जनहित के सवाल पूछने से क्यों रोका जा रहा है? ■ मोदी सरकार जनता के लाखों-करोड़ रुपये का हिसाब क्यों नहीं देना चाहती? ■ आखिर मोदी सरकार देश की जनता से क्या छिपाना चाह रही है? ■ क्या अब देश की संसद नरेंद्र मोदी की मनमर्जी से चलेगी?

बंगाल में ईसीआई के नोटिस जलाने पर सुप्रीम कोर्ट

किसी को भी एसआईआर में बाधा डालने की इजाजत नहीं देंगे

नई दिल्ली ■

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह मतदाता सूची के एसआईआर को पूरा करने में कोई बाधा नहीं आने देगा. अदालत ने कहा कि यह बात सभी राज्यों और राज्य अधिकारियों को साफ तौर पर समझ लेनी चाहिए. भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सुर्वकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के एसआईआर से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से दाखिल याचिका भी शामिल



थी. सीएम ममता बनर्जी की तरफ से वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने बंगाल में एसआईआर में वोटर्स के बड़े पैमाने पर बाहर होने की आशंका बताई. पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) की तरफ से वरिष्ठ वकील दामा शेषाद्रि नायडू ने कहा कि एक सॉफ्टवेयर है, जिसका इस्तेमाल उन गड़बड़ियों की पहचान करने के लिए किया जा रहा है जिनका

सरकार ने कोर्ट में बताया- वांगचुक बिल्कुल ठीक

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सोनम वांगचुक बिल्कुल ठीक हालत में हैं। हिरासत में रहते हुए उन्हें एम्स, जोधपुर में अच्छे इलाज मिल रहा है। वांगचुक के वकील ने कहा कि उनकी हिरासत पर फिर से विचार करने का यह सही समय है क्योंकि वह अभी भी अस्वस्थ हैं। कोर्ट की ओर से पेश हुए एडिशनल सैलिसिटर जनरल (एसजीओ) केएम नटराज ने बताया कि वांगचुक की हिरासत पर अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पी.बी. वरले की बेंच वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है। 11 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। दरअसल, 24 सितंबर 2025 को लेह में हुई हिंसा भड़काने के आरोप में 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत 26 वांगचुक को पुलिस ने हिरासत में लिया गया था।

यूरेनियम इनरिचमेंट बंद नहीं करेंगे अमेरिका की नीयत पर भरोसा नहीं

तेहरान ■

ईरान ने अमेरिका के दबाव को सख्ती से खारिज करते हुए कहा है कि वो अपना यूरेनियम संवर्धन (यूरेनियम इनरिचमेंट) प्रोग्राम किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा, चाहे उसे सैन्य धमकियां मिलें या नए प्रतिबंध लगाए जाएं। रविवार को तेहरान में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि ईरान को डराकर उसकी परमाणु नीति नहीं बदली जा सकती और अमेरिका की मंशा पर हमें भरोसा नहीं है।

यह बयान ऐसे समय आया है जब कई सालों बाद ईरान और अमेरिका के बीच ईरान गांधी का टेंशन है, क्योंकि मोदी ट्रम्प के आगे नहीं झुके तो राहुल गांधी के पूर्व आरोप फेल हो गए. वैसे राहुल गांधी के इस तर्क में वजन रहा कि किसी ने मोदी पर हमले का कहा तो ऐसे सांसदों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कराई.. कुल मिलाकर ज़िद दोनों तरफ बरकरार है और मुख्य मुद्दों पर चर्चा ना होकर सिर्फ हंगामा होना क्या उचित है..?

महानगर संस्करण

गनु भाकर करीबी अंतर से स्वर्ण पदक से चूकीं, रजत से करणा पड़ा...



पुर्ब 8 पर

मणिपुर के लितान में हिंसा भड़की, 25 घर फूँके, उपद्रवियों ने गोलीबारी की

इंफाल ■

मणिपुर के उखरल जिले के व्यावसायिक कस्बे लितान में तनाव बना हुआ है। हालांकि भारी सुरक्षा तैनाती के बीच फिलहाल माहौल शांत है। पुलिस के अनुसार, तांगखुल नागा और कुकी समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़पों के बाद लितान और उससे सटे मंगकोट गांव में बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन जारी है।

रविवार देर रात करीब 11:30 बजे लितान बाजार में हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान उपद्रवियों ने स्वचालित हथियारों और राइफलों से गोलीबारी भी की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। हिंसा में 25 घर और चार सरकारी क्वार्टर जलकर खाक हो गए हैं। हिंसा की शुरुआत 7 फरवरी की शाम लितान सरेइखोंग में हुए एक शराब के नशे में झगड़े से हुई, जिसमें तांगखुल नागा समुदाय के स्टर्लिंग नामक व्यक्ति के साथ कथित रूप से मारपीत हुई थी। बाद में



उसे इलाज के लिए इंफाल के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उखरल के जिला मजिस्ट्रेट ने लितान में कर्फ्यू लगा दिया है। मणिपुर के उप-मुख्यमंत्री लोसी दिखो, जो एक नगा नेता भी हैं, रविवार से ही अशांत इलाके में डेरा डाले हुए हैं और तनाव को कम करने में मदद के लिए स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं। लोसी ने भाजपा नेता एल न्यूआई की मौजूदगी में अपने लैम्फेल घर पर फुटहिल्स नागा कोऑर्डिनेटिंग कमेटी और जॉइंट ट्राइब्स काउंसिल के नेताओं के साथ बैठक भी की।

बैंक कर्मचारी ने खुद को गोली मारी घर खाली कराने आई थी टीम

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

विजय नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिनर्जी अस्पताल के पास सोमवार शाम एक दिल दहला

देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक को-ऑर्परेटिव बैंक में कार्यरत कर्मचारी हेमंत ब्रह्मवंशी ने अपनी ही लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना शाम करीब साढ़े 5 बजे की बताई जा रही है जब वह अपने घर के कमरे में अकेला था।

मिली जानकारी के अनुसार हेमंत ने अपने मकान को गिरवी रखकर बैंक ऑफ महाराष्ट्र से ढाई करोड़ रुपये का बड़ा कर्ज ले रखा था। बताया जा रहा है कि पिछले डेढ़ साल से वह बैंक की किश्तें चुकाने में असमर्थ थे। लंबे समय तक राशि जमा न होने के कारण बैंक की ओर से बार-बार नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन हेमंत की

डिप्रेशन का चल रहा था इलाज

विजय नगर थाना प्रभारी चंद्रकांत पटेल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि हेमंत पिछले काफी समय से भारी कर्ज के कारण मानसिक तनाव और डिप्रेशन से जूझ रहे थे। उनके बड़े बेटे ने भी इस बात की पुष्टि की है कि उनका मानसिक उपचार चल रहा था। पुतक के परिवार में उनकी वृद्ध मां, दो बेटे और एक बेटी है, जिनका इस घटना के बाद रो-रोकर बुग हाल है। पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है।

ओर से उनका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था। सोमवार को बैंक की एक टीम कानूनी प्रक्रिया के तहत मकान खाली कराने के लिए हेमंत के निवास पर पहुंची थी। जिस समय बैंक के कर्मचारी घर की पहली मंजिल पर खड़े होकर जब्ती और खाली करने की लिखा-पढ़ी की औपचारिकताएं पूरी कर रहे थे, उसी वक्त हेमंत ने नीचे अपने कमरे में जाकर आत्मघाती कदम उठा लिया। अचानक हुई गोली चलने की आवाज से घर और आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई।

54,000 करोड़ की डिजिटल धोखाधड़ी डकैती के समान

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर कड़ी टिप्पणी करते हुए इसे सीधी डकैती या लूट करार दिया और कहा कि इस तरह से 54,000 करोड़ से अधिक की रकम देश से निकास ली गई है। शीर्ष अदालत ने इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए व्यापक प्रणालीगत सुधार के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश सुर्वकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति एन बी अंजनिया की पीठ ने कहा कि डिजिटल धोखाधड़ी से निकासी गई राशि कई छोटे राज्यों के बजट से भी अधिक है। पीठ ने इस बात पर चिंता जताई कि इन अपराधों के पीछे जा तो बैंकों के अधिकारियों की मिलीभगत हो सकती है या गंभीर लापरवाही।



व्यांग्य : मोदीफोबिया के बाद ' स्पीकरफोबिया ' के भी विपक्ष में लक्षण..!

ग्लोबल हेराल्ड न्यूज एनालिसिस

GHNA दिलीप शर्मा (वीरेंद्र पत्रकार)

'मोदीफोबिया' से पीड़ित कांग्रेस व अन्य विपक्षी दल के नेताओं में अब ' स्पीकरफोबिया ' के भी लक्षण दिखे हैं और उसका प्रमाण नियमों से संसद चलाने की चेतावनी दे चुके स्पीकर ओम बिरला से विपक्ष चाहता है कि नियम सभी के लिए समान हो, लेकिन ऐसी चाह तब पूरी होती है जब स्पीकर अपना हो. ऐसे में क्या करें तो विपक्ष ने सोचा अविश्वास प्रस्ताव लाओ और हटाओ तो क्या आसान है, जानते हैं सब कुछ..?

राहुल गीत : हम अपनी ज़िद का असर देखेंगे : अविश्वास का असर देखेंगे..!

'आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे ' पाकीजा फिल्म के इस गीत की तर्ज पर कांग्रेस सांसद व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर गीत के बोल उनकी ज़िद के कारण इस प्रकार हो सकते हैं ' अब हम अपनी ज़िद का असर देखेंगे, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का असर देखेंगे ' लेकिन असर में सिर्फ हताशा ही देख सकते हैं, क्योंकि 1954 में स्पीकर मावलकर के खिलाफ खारिज हुआ था फिर 1966 में हुकमसिंह के खिलाफ और तीसरा 1967 में बलराम जाखड़ के विरुद्ध खारिज हुआ. अब ओम बिरला के खिलाफ भी यही होने की सम्भावना है, क्योंकि विपक्ष के पास बहुमत नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 94 की प्रक्रिया जटिल है. खैर अब राहुल गांधी की ज़िद की बात करें तो वे इसलिए पावर में हैं कि वे पूर्व सैन्य अधिकारी नरवणे की किताब ले आए हैं, अब कैसे लाए यह तो वह खुद जाने, लेकिन इससे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आपत्ति प्लॉप हुई है कि किताब



राहुल की ज़िद, राजनाथ की आपत्ति और स्पीकर बिरला की झिड़की

प्रकाशित ही नहीं हुई और अब राहुल किताब दिखाकर बोलना चाहते हैं, लेकिन उनका आरोप है कि बोलने नहीं दिया जा रहा और इसी ज़िद के सहारे और अन्य विपक्षी सांसदों का साथ हंगामे में मिलने से वे उत्साहित हैं कि सरकार को टेंशन तो दे रहे हैं.अब विपक्ष के इस अविश्वास का कड़वा सच यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने लगातार हारती रही कांग्रेस का विश्वास तो

डगमगाया हुआ है और अन्य विपक्षी दलों को भी विश्वास नहीं है कि वे आगामी चुनावों में जीत जाएंगे और यही डर स्पीकर पर अविश्वास के रूप में सामने आया है.स्पीकर नियमों की बात कर रहे हैं तो विपक्षी नेता चाहते हैं कि नियम सभी के लिए समान हों, लेकिन ऐसा तभी होता है जब स्पीकर अपनी पार्टी का हो और यह बात विपक्षी सांसद जानते हैं फिर भी सत्ता पाने के लिए कुछ तो करना है इसलिए हंगामा ही करो.अब राहुल गांधी के उस दावे की बात करें कि प्रधानमंत्री मोदी डर रहे हैं तो यह महज राहुल गांधी का टेंशन है, क्योंकि मोदी ट्रम्प के आगे नहीं झुके तो राहुल गांधी के पूर्व आरोप फेल हो गए. वैसे राहुल गांधी के इस तर्क में वजन रहा कि किसी ने मोदी पर हमले का कहा तो ऐसे सांसदों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कराई.. कुल मिलाकर ज़िद दोनों तरफ बरकरार है और मुख्य मुद्दों पर चर्चा ना होकर सिर्फ हंगामा होना क्या उचित है..?

अंबानी ग्रुप के खिलाफ फ्रॉड-केस के लिए एसआईटी गठित

नई दिल्ली ■

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) ने अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (एडएजी) और उससे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ 40,000 करोड़ रुपये के बैंकिंग और कॉर्पोरेट फ्रॉड की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) का गठन किया है। सोमवार को आधिकारिक सूत्रों ने जानकारी दी कि यह टीम सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों के बाद बनाई गई है। कोर्ट ने मामले की निष्पक्ष और जल्द से जल्द जांच करने को कहा था।

सूत्रों के अनुसार, इस एसआईटी का नेतृत्व जांच एजेंसी की हेडक्वार्टर



इन्वेस्टिगेशन टीम के एक एडिशनल डायरेक्टर रैंक के अधिकारी करेंगे। इस टीम में करीब आधा दर्जन अन्य अनुभवी अधिकारियों को शामिल किया गया है। यह टीम विशेष रूप से एडीएजी ग्रुप की कंपनियों में हुए फंड के हेरफेर और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की जांच करेगी। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने एडीएजी के खिलाफ चल रहे मामलों की समीक्षा करते हुए ईडी को एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया था।

महोदर

कड़कर माफई मांगते नजर आए। उन्होंने पुलिस को बताया कि वे स्वतंत्र की हालत में थे। वहाँ उन्होंने कसब खाई कि भविष्य में ऐसी हरकत न करेंगे। इस घटना से इलाके में काफ़ी आक्रोश है। बता दें कि मामले में बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों ने कड़काई की मांग भी की थी। उन्होंने कसब कहना था कि तभी धर्मस्थलों पर ऐसी घटनाओं पर लगाया जा सकेगी।

बढ़ती शिकायतों के बीच कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा है कि यश आ समाज और युवाओं के भविष्य के लिए एक अत्यंत गंभीर खतरा है। उन्होंने जोर दिया है कि पुलिस, जिला प्रशासन, शैक्षणिक संस्थानों और नागरिक समाज को मिलकर एक साझा मोर्चे पर काम करना होगा। कलेक्टर के अनुसार, शहर के उन संवेदनशील इलाकों की सूची तैयार की जा रही है जहां नाशखोरी सबसे अधिक है। इन चिन्हित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में आने वाले दिनों में विशेष निगरानी रखी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि शहर की कानून व्यवस्था और मर्यादा बनी रहे।

जगत्सु कार्यक्रम शुरू करने होंगे। केवल आशवासन और बयान अब धरोसा पैदा नहीं कर सकते। यह दर्दनाक घटना भारतस्रूस के शैक्षणिक संबंधों पर गहरे सवाल खड़े करती है। क्या छात्र केवल आंकड़े है, या उनकी सुरक्षा और सम्मान की भी कोई कीमत है? हम साला हजारों युवाओं का विदेश जाना तब तक उपलब्धि नहीं कहा जा सकता, जब वे डर और असुरक्षा में जीने को मजबूर हों। शिक्षा का उद्देश्य आत्मविश्वास और स्थिरता देना है, न कि भय और अकेलापन। आज रूस में पढ़ रहे हजारों भारतीय छात्र मानसिक तनाव और अव्यवस्था से जूझ रहे हैं। वे लौटना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक और शैक्षणिक मजबूरियाँ उन्हें रोक लेती हैं। यह स्थिति हमारी शिक्षा और विदेश नीति-दोनों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। ऊफा की घटना हमें चेतावनी देती है कि विदेश में पढ़ाई अब सिर्फ अवसर नहीं, बल्कि बड़ा जोखिम बन चुकी है। सरती डिग्री के पीछे छिपा खतरा अब उजागर हो चुका है। सरकार, विश्वविद्यालय, एजेंट और अभिभावकों को मिलकर व्यवस्था बदलनी होगी। छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बननी चाहिए। यदि अब भी चुप्पी रही, तो अगले खतरा किसी और पर का उगला बुरा देगा। शिक्षा तभी सार्थक है, जब वह जीवन की उम्र बड़े, सपनों को संवार दे और भविष्य को सुशुद्ध बनाए। सुशुद्ध शिक्षा ही सच्ची शिक्षा है- और यह हर छात्र का अधिकार है।

(नोट: इस लेख में ये दिए गए विचार लेखक के अपने विचार हैं)



दैनिक

Alfa Valley India



